(घ) इस पर यदि कोई कार्रवाही की गई है तो वह क्या है और यदि कोई कार्रवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी.वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग एक अर्द्ध न्यायिक निकाय है और यह एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 33 क और धारा 36 के के साथ गठित धारा 2(आई), 2(ओ) में परिभाषित एकाधिकार, प्रतिबंधित और अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच कर सकता है और प्रविरत तथा प्रतिविरत" (सीज एंड डिजिस्ट) आदेशों को पारित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग को अस्थाई व्यादेश देने और मुआवजा देने की शक्तियां भी प्राप्त हैं जहां किसी उपक्रम अथवा किसी व्यक्ति द्वारा किए गए एकाधिकारिक, प्रतिबंधित या अनुचित व्यापार प्रथाओं के फलस्वरूप, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकर या किसी व्यापारी या व्यापारी वर्ग या किसी उपभोक्ता को कोई क्षति या नुकसान हुआ हो।

(ग) और (घ) औषध उद्योग में व्याप्त कतिपय अनुचित व्यापार प्रथाओं से सम्बन्धित एक शिकायत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में नवम्बर 1991 में प्राप्त हुई थी। निदेशक (अनुसंधान), एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा शिकायत की प्रारम्भिक जांच की गई थी और उनके द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के आधार पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने (i) सिप्लाः लिमिटेड, (ii) आई.पी.सी.ए. लेबोरेट्रीज लिमिटेड, (iii) रैन बैक्सी लेबोरेट्रीज लिमिटेड, (iv) स्टेनोन फार्मेस्यूटिकल लिमिटेड, (v) कैडिला कैमिकल्स (पी) लिमिटेड, (vi) बिडल सयेर लिमिटेड, (vii) जगसोनपाल फार्मा लिमिटेड, (viii) एलाइड कैमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड के मामले में मार्च, 1997 मे एक प्रतिबंधित व्यापार प्रथा जांच (सं. 37/92) संस्थित की है। आयोग द्वारा मामले में 12.9.97 को अगली सुनवाई के लिए सूचिबद्ध है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है और यह एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबंधों के अंतर्गत इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगा।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिखायी गयी लाभांश की दर

4277. **श्री राम जेठमलानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सय सच है कि देश में कार्यरत शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिखाया गया लाभांश पिछले वर्षों के दौरान लगातार बढ़ता रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उनके पूंजी निवेश के आधार पर 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान दिखाई गई लाभांश की दर कितनी रही है; और

(ग) उपर्युक्त लाभांश दर भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में औसत कितनी अधिक या कम है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी.वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) बहुराष्ट्रीय कंपनी की सामान्य रुप से स्वीकार्य परिभाषा नहीं है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत ऐसा वर्गीकरण नहीं है। तदनुसार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के तथाकथित वर्गीकरण पर आधारित देश में कार्यरत कंपनियों से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

Passport issued in Tamilnadu

4278. SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of passports issued during 1996-97 by various Passport Offices in Tamil Nadu, district-wise;

(b) the steps being taken by Government to provide passports at the earliest to the applications of the State; and

(c) whether there is any proposal to open a Passport Office at Kanya Kumars District of the State?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) A statement showing the number of paassports issued by Passport Office, Chennai and Passport Office, Tiruchirappalli in Tamil Nadu during the

year 1996 and the period from 1st January to 31st March, 1997, distric-wise, is place on the Table of the House. *(See below)*

(b) A number of steps have been taken to simplify and streamline the procedures for expeditious issue of passports which, *inter-alia,* are:

(i) upgradation of office facilities including computerisation leading to faster screening and processing of applications;

(ii) simplification of passport and miscellaneous services forms;

(iii) issue of passports without any further wait for police clearance in cases where police reports are not received during the prescribed time-limit of four weeks;

(iv) a thorough scrutiny of applications at the acceptance stage itself to check their completensess/ correctness in all respects;

(v) augmentation of staff strength to reduce and clear pendencies;

(vi) provision to issue passports in cases of emergency/urgency on out of turn basis on the strength of Verification Certificate issued by an authorised official;

(vii) expansion of the list of officials authorised to sign Verification Certificates;

(viii) introduction of passports valid for 20 years; and

(ix) automatic reissue Of passports on expiry without fresh police verification.

(c) No, Sir. There is no proposal at present, to open a Passport Office at Kanyakumari as the opening of new Passport Offices is based on certain parameters such as the location of the existing Passport Offices, inflow of applications from a particular region in the context of the recommendations of the Standing Committee of Parliament for External Affairs that there must be a least 50,000 applications per annum from an area for a new Passport Office to be opened.

Statement

Details of the number of passports issued by the Passport Office in Tamil Nadu, district-wise during the year 1996-97

1 PASSPORT OFFICE CHENNAI

s. No.	Name of District	19%	1997 (upto March, 97)
1.	Coimbatore Rural	2606	625
2.	Coimbatore Urban	5627	2038
3.	Chingleput East	254%	6790
4.	Chingleput West	2767	655
5.	Dharmapuri	1717	415
6.	Madras	48756	11935
7.	North Arcot Ambedkar	7290	1614
8.	Nilgiris	2104	551
9,	Perryar	1955	507
10	South Arcot Vallalar	14020	3045
11	Salem	49%	1271
12.	Thiruvannamalai Sambuvarayar	3662	843
13.	Villupuruam Ramassamy Padayachi	8958	2103
14.	Pondicherry & Karaikal	4216	1321

2. PASSPORT OFFICE TIRUCHBAPPALLI

1.	Anna	2649	582
2.	K.D. Chinnamalai	—	220
3.	Kamarajar	4222	931
4.	Kanvakumari	16443	3263
5.	Madurai City	6233	1500
6.	Madurai Rural	6201	1408
7.	Nagai Qutade Millath	23741	4545
8.	Pudukkothai	17966	4663
9.	P.M. Ramalingam	18329	3895
10	Ramnad	15652	2739
11	Tanjore West	22152	4548
12	Tirunelveli	10994	2304
13	Tiruchirappalli	29951	4304
14	Thiruvalluvar	—	1720
15	V.O. Chidambaranar	6826	1629

Indians Arrested by Thai Naval Forces

4279. SHRI W. ANGOU SINGH:
SHRI V. NARAYANASAMY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state: